उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–54/2021–22

मोहन कुमार गिरी

बनाम्

मसो0 लखपति देवी एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक	
28/05/22	अपीलकर्त्ता मोहन कुमार गिरी, पे0–स्व0 भरत गिरी, सा0–करमाटोला, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–07/21–22 (लखपति देवी बनाम् रैयान मौजा–करमाटोला) के आदेश दिनांक–03.09.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। लेकिन निर्धारित तिथि को वार–वार पुकार पर भी अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को कुछ नहीं कहना है। इस संबंध में विद्वान सरकारी वकील से मंतव्य की माँग की गयी। विद्वान सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त है। विद्वान सरकारी वकील के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि मौजा–करमाटोला प्रधानी मौजा है। मौजा के गत प्रधान पुजेन्द्र राय थे। उत्तरवादी लखपति देवी गत प्रधान की पत्नि है। जवकि अपीलकर्त्ता मोहन कुमार गिरी का गत प्रधान से कोई संवंध नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी मसो0 लखपति देवी की नियुक्ति वंशानुगत आधार पर की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता मोहन कुमार गिरी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें। लिखाया एवं शुद्ध किया। 28/05/22 उपायुक्त, गोड्डा। 28/05/22 उपायुक्त, गोड्डा।

डी0 पी0–20
30.05.22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:44:42 +05:30
Location: 172.17.208.1